न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2013/00276 (161/2013) 223 आरटीएक्ट

बलदेव सिंह पुत्र बलवन्त सिह जाति जटसिख निवासी रूलदूसिंहवाला तहसील व जिला बठिण्डा हाल चक 6 डी.बी.एल. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सुखविन्द्र सिंह } पिसरान श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी डबली खुर्द तहसील
2. बलजिन्द्र सिंह } टिब्बी
3. श्रवण सिंह पुत्र मल सिह जाति जटसिख निवासी डबली खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. रघुवीर सिंह } पिसान सुरजाराम अकवाम कुम्हार निवासी ढाणी लूणावाली
5. राजेन्द्र सिंह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. तहसील राजस्व टिब्बी

–प्रत्यर्थीगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0स0 619/2012 शीर्षक सुखविन्द्र सिंह बनाम श्रवण सिंह

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांकः– 05.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। जिसमें चक 3 एम.जेड.डब्ल्यू., 8 डी.बी.एल. व चक 6 डी.बी.एल. की भूमि आना कथित करते हुए खातदेारी प्रदान करने एवं संबंधित घोषणात्मक आज्ञाप्ति का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तु किया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों के साथ प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये।
2. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 6 डीबीएल में खाता संख्या 21/21 की 30.614 [illegible] उसका भाई सुखदेव सिंह व बहन तेजकौर सहखातेदार हैं। पूर्व के [illegible] अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रवण सिंह पुत्र. मलसिंह के नाम [illegible] था जो 8 बीघा के समकक्ष है। अपीलाण्ट का हिस्सा 1/54 [illegible] का .466 [illegible] तेजकौर का 1/54 हिस्सा [illegible] 3 ने अपने पुत्रों की [illegible] अपने नाम से अंकित कुल 2.024 है0 भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र [illegible] 16.05.2006 प्रत्यर्थी 4 व 5 रघुवीर सिंह व राजेन्द्र सिंह को बेचान कर दिया था।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो गया था परन्तु सहवन से विक्रेता श्रवण सिंह अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम विलोपित नही हुआ। इस कारण श्रवणसिंह का 2.024 है0 व क्रेता के नाम भी 2.024 है0 भूमि बोलती रही। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रवण सिंह ने प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा परस्पर दुर्भिसंधी कर साजिश रचकर इस भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम घोषित करवा ली। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सभी सह काश्तकारों को वाद में संयोजित नही किया गया। अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के खाता के कुल अंकनों व खाता की भूमि के सम्बन्ध में कोई आंकलन नही किया व बिना किसी जांच पड़ताल के एक ही भूमि के दो इन्तकाल दर्ज कर दिये। एकबार भूमि के विक्रय करने की स्थिति में पुनः विक्रेता को इसे अपने पुत्रों को विभाजित करने का कोई अधिकार नही होने की स्थिति में अपीलाधीन निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को घूमिल करने वाला है। अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये गये राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। अपीलाण्ट को इस निर्णय का पूर्व में ज्ञान नहीं था। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. बहस में आये तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का सह खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाई गई। इस प्रकार अपीलाण्ट एक आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान न होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 29.10.2012 को घोषणा का वाद पेश किया था, जिसमें आगामी पेशी 16.11.2012 दी गई थी। इस बीच दिनांक 05.11.2012 को वकील वादी ने पत्रावली पेशी में लेने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की है। चक 6 डीबीएल में खाता संख्या 21/21 की 30.614 है0 भूमि थी जिसमें अपीलार्थी व उसका भाई सुखदेव सिंह व बहन तेजकौर सहखातेदार हैं। पूर्व के अंकनों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रवण सिंह पुत्र. मलसिंह के नाम 5/18 हिस्सा हर्थात 2.024 है0 दर्ज था जो 8 बीघा के समकक्ष है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने पुत्रों की सहमति से अपने नाम से अंकि[illegible] बेचान जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 16.05.2006 पत्यर्थी 4 व 5 रघु[illegible] राजेन्द्र सिंह को बेचान कर दिया था, जिसका इन्तकाल भी [illegible] विक्रेता श्रवण सिंह अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 3 का ना[illegible] कारण श्रवणसिंह का 2.024 है0 व क्रेता के नाम भी 2.024 है0 भूमि [illegible]। जिसका फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रवण सिंह ने प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा परस्पर संधी कर भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम घोषित करवा ली। अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एक सहखातेदार है जिसे बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सभी सह काश्तकारों को वाद में संयोजित नही किया गया। एकबार भूमि के विक्रय करने की स्थिति में पुनः विक्रेता को इसे अपने पुत्रों को विभाजित करने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/XI/20

(करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner